शोध पत्र / Research Paper

Analytical Study of Constitutional Provisions in Indian Languages
भारतीय भाषाओं में संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रोफेसर अवनीश कुमार[1] एवं डॉ० अंजू खंडेलवाल[2]
Prof. Avanish Kumar[1] & Dr. Anju Khandelwal[2]
[1]Bundelkhand University, Jhansi (INDIA)
(Ex-Chairman CSTT & Ex-Director CHD, MOE, GOI, New Delhi)
[2]Associate Professor, Balaji Institute of Management & HRD, Sri Balaji University, Pune (INDIA)
[1]dravanishkumar@gmail.com, [2]dranju20khandelwal@gmail.com
https://doie.org/10.1229/VP.2023800862

सारांश

अभिव्यक्ति का माध्यम 'भाषा' मनुष्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, चिंतन, दर्शन का वह रूप है जो मनुष्य और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाती है। यहाँ भाषा की लिपि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि भाषा, जो अभिव्यक्ति को संरक्षित करने का कार्य करती है। जब हम भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो भारत का मूल मंत्र वसुधैव कुटुम्बकम है और विविधता में एकता का भाव प्रदर्शित होता है। भारतीय संविधान वह महान और पवित्र ग्रन्थ है, जिसमें तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों ने भाषाओं पर गहन विचार–मंथन कर इस विषय को अनेक खण्डों, उपखण्डों और अनुच्छेदों में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय भाषाओं में संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। विश्लेषण के आधार पर यह पाया गया है कि यदि भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है तो न केवल शिक्षा और व्यवसाय में भारतीय भाषाओं के योगदान को स्वीकार करने की आवश्यकता है बल्कि अंग्रेजी के प्रयोग पर भी अल्प विराम लगाने की आवश्यकता है।

Abstract

The medium of expression 'Language' is that form of all round development, contemplation, philosophy of man and nation which takes man and nation on the path of progress. Here the script of the language is as important as the language, which serves to preserve the expression. When we talk about the Indian nation, the basic mantra of India is **Vasudhaiva Kutumbakam** and the sense of unity in diversity is resembled. The Indian Constitution is that great and holy book, in which the members of the then Constituent Assembly, after brainstorming deeply on languages, have effectively expressed this subject in many sections, sub-sections and articles. In the presented research paper, an analytical study of constitutional provisions in Indian languages has been done. Based on the analysis, it has been found that if India has to become a fully developed nation, there is a need to not only acknowledge the contribution of Indian languages in education and career, but also put a short pause on the use of English.

1. प्रस्तावना –

अभिव्यक्ति का माध्यम 'भाषा' मनुष्य एवं राष्ट्र के समग्र विकास, चिन्तन, दर्शन का वह रूप है जो कि मनुष्य एवं राष्ट्र को उन्नति के पथ पर लेकर जाती है। सभी भाषाओं की जननी 'संस्कृत' भाषा ज्ञान का भण्डार है, जिसने न केवल मनुष्य को आगे बढ़ना सिखाया अपितु राष्ट्रों के लिए ज्ञान के सभी क्षेत्रों में मानवता एवं सभ्यता के साथ साथ ज्ञान रूपी धरोहर को विश्व के लिए समर्पित किया। कहावत है कि, 'कोस–कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी' को चरितार्थ करने वाला राष्ट्र भी भारत ही है। इसमें

मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिन्दी जिसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अपने सानिध्य में अनेक भाषाओं को पल्लवित पुष्पित होने का सुअवसर देती है और सभी को जननी संस्कृत का मार्गदर्शन वटवृक्ष की भांति सभी भाषाओं को आश्रय देने के साथ साथ भाषाओं के व्याकरण, अनुशासन और उनकी लिपियों का भी विकास कर रही है। गाँधी जी से लेकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही अपनाया है। भारतीय संविधान वह महान और पवित्र ग्रंथ है, जिसमें भाषाओं को लेकर तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों ने गहन विचार विमर्श मंथन उपरान्त बड़े ही प्रभावी रूप से इस विषय को अभिव्यक्त किया है। संविधान में भाषाओं के विषय को भारतीयता के संदर्भ में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वर्तमान संदर्भ में भी उसकी उपयोगिता को कमतर नहीं आँका जा सकता है। महात्मा गाँधी ने कहा था कि यदि हम अपने महान विचारों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए अपनी ही भाषा को उपर्युक्त नहीं समझते तो देर–सवेर हमारे ज्ञान का अस्तित्व ही मिट जायेगा। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं की समृद्धि की बात भी कही गयी है। विलुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं और उनकी लिपियों के संरक्षण की बात भी संविधान करता है [2–5,7–11]।

2. भारतीय भाषाओं के संदर्भ में संविधानिक मन्तव्य

संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में हर संभव केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्तर पर सहयोग, (आर्थिक सहयोग सहित) करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के आधार पर शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है ताकि उनका धर्म, शिक्षा, भाषा, संस्कृति सदैव जीवंत बनी रहे, तथा समय के साथ साथ संवर्धन एवं विकास यात्रा चलती रहे। संविधान का अनुच्छेद 120 संसद की भाषा को प्रदर्शित करता है। इसके भाग आठ में कुछ भी होने के बावजूद, परन्तु अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अंतर्गत संसदीय कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में करने की अनुमति देता है। बशर्ते लोकसभा/ राज्यसभा के अध्यक्ष या जैसा भी मामला हो, हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से स्वयं की अभिव्यक्त करने की अनुमति दे सकते हैं। साथ ही संविधान प्रारम्भ होने से पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद 'या अंग्रेजी में' शब्द उसमें से हटा दिये जाने की स्वीकारोक्ति करता है, उद्देश्य स्पष्ट था कि भारत राष्ट्र निज भाषा के माध्यम से परिपक्वता के साथ विश्व में स्वंय अपनी पहचान बना सकने में समर्थ हो सके। संविधान का अनुच्छेद 343 बताता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी [10–11] तथा संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतराष्ट्रीय रूप होगा। इस अनुच्छेद 343 का खंड (1) इस बात की अनुमति देता है कि संविधान प्रारम्भ होने के पंद्रह वर्षों तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता रहेगा, बशर्ते कि राष्ट्रपति उक्त अवधि में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा और भारतीय अंकों के अंतराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप के उपयोग को प्राधिकृत कर सकते हैं। साथ ही उक्त पंद्रह वर्षों की अवधि को विस्तारित भी कर सकते हैं। संविधान प्रारम्भ से पाँच वर्ष उपरान्त राष्ट्रपति राजभाषा पर अनुच्छेद 344 के अंतर्गत आयोग तथा संसद समिति के गठन का आदेश कर राजकीय प्रयोजनों में हिन्दी भाषा का प्रगामी प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के उपयोग पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 348 के अंतर्गत सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा, अंकों का रूप, लिपि, संघ एवं राज्यों के मध्य पत्राचार की भाषा, अथवा उनके उपयोग के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य विषय मामला विचारणीय रहेगा। इसी अनुच्छेद के खंड दो में आयोग का कर्तव्य, भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति तथा हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के हितों का ध्यान सर्वोपरि रखकर सिफारिशों का किया जाना कहा है। आयोग के साथ साथ तीस सदस्यों

वाली समिति, जिसमें बीस सदस्य लोकसभा से तथा दस सदस्य राज्यसभा से नामित किया जाना भी है। समिति का उत्तरदायित्व खण्ड(1) के अंतर्गत गठित आयोग को सिफारिशों का अध्ययन कर राष्ट्रपति को परामर्श देना होगा। राष्ट्रपति खण्ड(5) में निर्दिष्ट परामर्श/ रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त संपूर्ण अथवा आंशिक अथवा कुछ भागों पर निर्देश जारी कर सकते है। अनुच्छेद 345 किसी राज्य की राजभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के अधीन किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिन्दी को सभी अथवा किन्हीं भी अधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपना सकता है। अन्यथा की स्थिति में अधिकारिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य अथवा एक राज्य और संघ के मध्य पत्राचार के लिए राजभाषा के रूप में प्राधिकृत भाषा रहेगी जबकि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हो तो पत्राचार की भाषा हिन्दी अथवा अधिकारिक भाषा रह सकती है। इसी के साथ अनुच्छेद 347 के अंतर्गत राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अथवा समूह द्वारा प्रयुक्त भाषा के उपयोग को भी राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति उपरांत प्रयोग में लाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयुक्त अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग किए जाने के लिए अंग्रेजी भाषा को अनुमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबन्धित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए 348 के खण्ड(1) में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई भी विधेयक या संशोधन सदन में पेश या स्थानांतरित नहीं किया जायेगा। ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। संविधान का अनुच्छेद 350 शिकायतकर्ता को संविधान, संघ अथवा राज्य में निर्दिष्ट किसी अधिकारिक भाषा के उपयोग की अनुमति देता है। अनुच्छेद 35(a) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में दिये जाने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 350(b) अल्पसंख्यकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा के उपयोग की भी व्यवस्था करता है। संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास, संवर्धन, प्रचार, प्रसार किए जाने की व्यवस्था किए जाने का है [7–9]।

3. विश्लेषणात्मक अध्ययन

भारतीय भाषाओं के विषय को संविधान में बड़े ही सारगर्भित रूप से व्यक्त किया गया है। भाषाओं की महत्ता को लेकर इस विषय का संविधान में स्थान बनाना ही इस बात को प्रदर्शित करता है कि इस देश के नीति निर्माता, भाषायी विविधता के साथ शिक्षा और संस्कृति को लेकर दूरदर्शी सोच रखते थे। उनका मत अथवा झुकाव कभी भी अंग्रेजी की ओर नहीं रहा, केवल शुरुआती 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की सह–भाषा को दर्जा इस नीयत से दिया था कि अंग्रेजी को हिंदी से प्रतिस्थापित करना है। परंतु आज जब भारत आजादी के 75 वर्ष पूर्ण पर चुका है तथा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भी भाषाओं का विषय हम सबके समक्ष हिंदी–अंग्रेजी के साथ खड़ा है। हिंदी और भारतीय भाषाओं की स्थिति प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ होती हुई दिख रही है परन्तु अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा को स्थापित करना किसी मृगतृष्णा से कम नहीं है। प्रश्नावली के माध्यम से संविधान में वर्णित अनुच्छेदों, खंडों, उपखंडों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वे के माध्यम से प्रबुद्ध जनों के समक्ष उत्तर प्राप्ति के लिए रखे गए। कुल 2580 प्रबुद्धजनों (जिसमें लगभग सभी क्षेत्रों, सभी विधाओं के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों, शिक्षक, शोधार्थी, नौकरशाह आदि) ने अपने उत्तरों के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण राय इस संदर्भ में हमें दी। इस शोधपत्र में दस मुख्य प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षों से निश्चित ही भाषायी विषय पर चिंतन–मंथन करने का अवसर मिलेगा तथा साथ ही नीति निर्माताओं को भी नीतियों के निर्धारण में सहायता मिलेगी [1,6]।

प्रश्नावली के प्रश्नों के माध्यम से 2580 प्रबुद्ध जनों से उत्तरों को प्राप्त कर, विश्लेषण निम्नवत प्रस्तुत है–

3(a) क्या आप जानते हैं कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं?

प्रश्नावली के माध्यम से जब हमने इस बात को जानना चाहा कि आठवीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएँ सम्मिलित हैं तो हमने पाया कि केवल 62.9% उत्तर प्रदाताओं ने सही संख्या (अर्थात 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं), दिया। दूसरी ओर 26.1% उत्तर प्रदाताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की, इसी के साथ 11% में जानकारी का अभाव पाया गया। ग्राफ चित्र से स्वतः ही स्पष्ट होता है।

क्या आप जानते हैं कि आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ सूचीबद्ध हैं? Do you know how many Languages are listed in the Eight Schedule?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
14	149	5.8
18	136	5.3
22	1626	62.9
पता नहीं /Don't know	675	26.1

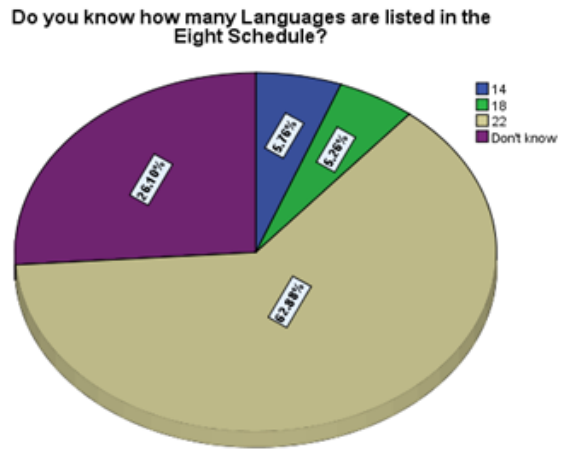

चित्र –1

3(b) भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद/अनुच्छेदों भारतीय भाषा/भाषाओं से संबंधित हैं ?

संविधान के कौन–से अनुच्छेदों के द्वारा भारतीय भाषाओं को संदर्भित किया गया है, यहाँ सही उत्तर देने वालों का प्रतिशत 52.0% रहा जबकि अनभिज्ञता रखने वालों का प्रतिशत 30.1% रहा, साथ ही अपूर्ण जानकारी रखने वालों का प्रतिशत 17.9% रहा।

भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद / अनुच्छेदों भारतीय भाषा/ भाषाओं से संबंधित हैं? Which Article/Articles relate to Indian Language/ Languages in Indian Constitution?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
अनुच्छेद 343 तथा 350 / Article 343 and 350	330	12.8
अनुच्छेद 343 तथा 351 / Article 343 and 351	1344	52.0
अनुच्छेद 353 / Article 353	133	5.1
पता नहीं /Don't know	779	30.1

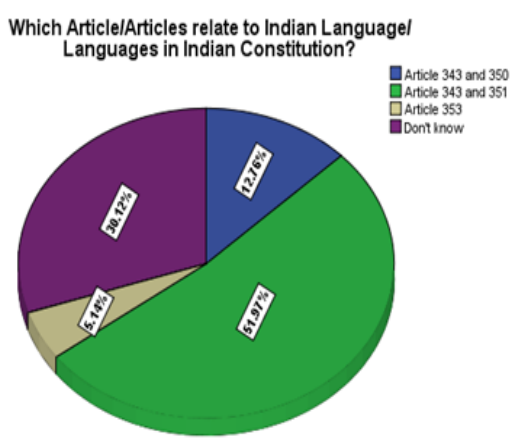

चित्र–2

3(c) संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में उल्लेख है कि "संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी" ?

प्रश्नावली में संघ की राजभाषा हिंदी तथा इसकी लिपि देवनागरी के विषय में दिये गए प्रश्न के उत्तर के लिए अनभिज्ञता रखने वाले उत्तरप्रदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक 41.3% रहा और दूसरी ओर सही उत्तर अर्थात भाग XVII अनुच्छेद 343(1) बताने वाले उत्तरप्रदाताओं का प्रतिशत 40.4% रहा। यहाँ अशुद्ध जानकारी रखने वालों का प्रतिशत 18.3% रहा।

संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में उल्लेख है कि "संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी"? Which part and article of the Constitution mentions that "The Official Language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script"?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
पता नहीं /Don't know	1068	41.3
भाग XVI अनुच्छेद 342(1) / Part XVI Article 342 (1)	127	4.9
भाग XVI अनुच्छेद 343(1) / Part XVI Article 343 (1)	290	11.2
भाग XVII अनुच्छेद 342(1) / Part XVII Article 342 (1)	56	2.2
भाग XVII अनुच्छेद 343(1) / Part XVII Article 343 (1)	1045	40.4

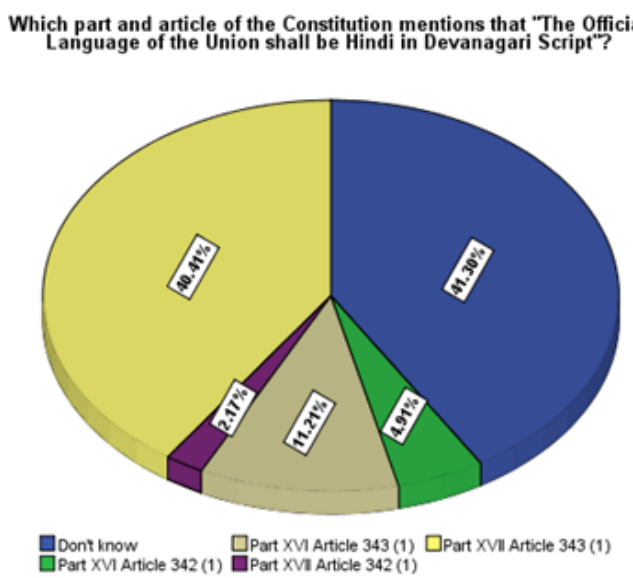

चित्र –3

3(d) कौन–सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश प्रदान करता है ?

हिंदी भाषा के विकास के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर (अर्थात अनुच्छेद 351) देने वाले प्रदाताओं का प्रतिशत मात्र 33.6% रहा। अनभिज्ञता रखने वालों का प्रतिशत 34.6%, जानकारी का अभाव रखने वालों का कुल प्रतिशत 31.8% रहा।

कौन–सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश प्रदान करता है? Which article provides Directive for development of Hindi Language?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
अनुच्छेद 343 / Article 343	612	23.7
अनुच्छेद 348 / Article 348	113	4.4
अनुच्छेद 351 / Article 351	870	33.6
अनुच्छेद 352 / Article 352	96	3.7
पता नहीं / Don't know	895	34.6

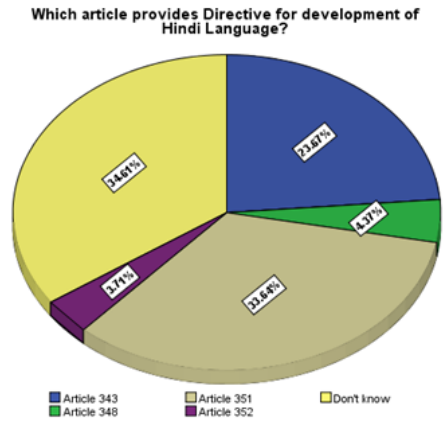

चित्र –4

3(e) कौन–सा अनुच्छेद किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा/भाषाओं को उस राज्य के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए भाषा/भाषाओं के रूप में अपनाने का प्रावधान करता है ?

राज्यों को अपनी अधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार देने वाले अनुच्छेद के विषय में जब जानना चाहा तो ज्ञात हुआ 45.3% व्यक्ति तो अनभिज्ञ है जबकि सही उत्तर (अर्थात अनुच्छेद 345) देने वाले जन मात्र 29. 4% ही है। 25.4% व्यक्तियों के पास सटीक जानकारी का अभाव था।

कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की क्षेत्रीय भाषा/भाषाओं को उस राज्य के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए भाषा/भाषाओं के रूप में अपनाने का प्रावधान करता है? Which Article provides for adopting Regional Language/Languages of a State as the Language/Languages for Official Purposes of that State?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
अनुच्छेद 342 / Article 342	56	2.2
अनुच्छेद 343 / Article 343	405	15.7
अनुच्छेद 344 / Article 344	193	7.5
अनुच्छेद 345 / Article 345	760	29.4
पता नहीं /Don't know	1172	45.3

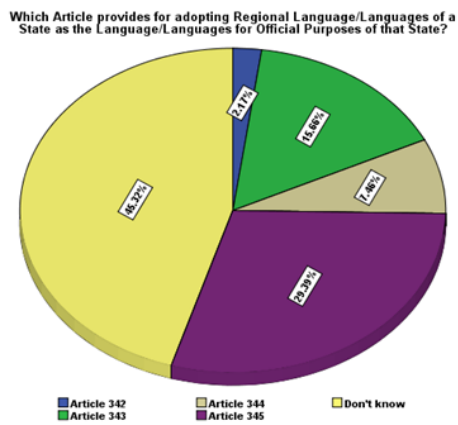

चित्र –5

3(f) क्या शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी/हिंदी/भारतीय भाषाएं होने से समझ, सीखने और मौलिक सोच में सुधार होगा ?

प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न के माध्यम से जब बोध, अधिगम और मौलिक चिंतन को शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में पूछा गया तो सुखद आश्चर्य हुआ कि 64.8% जन इस बात से सहमत दिखे कि यदि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में होता है तो बोध, अधिगम और मौलिक चिंतन में आशातीत वृद्धि होगी। केवल 15.5% उत्तरप्रदाताओं ने केवल अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों पर भरोसा किया, तथा 19.6% उत्तरप्रदाताओं ने केवल हिंदी माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों पर भरोसा किया।

शिक्षा का माध्यम होने से समझ, सीखने और मौलिक सोच में सुधार होगा / Comprehension, learning and original thinking will improve if medium of instruction is	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
केवल अंग्रेजी / English only	401	15.5
केवल हिंदी / Hindi only	508	19.6
भारतीय भाषाएं / Indian languages	1677	64.8

चित्र –6

3(g) क्या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से तनाव बढ़ता है ?

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने से विद्यार्थियों में बढ़ते तनाव के अंतर्गत विद्यार्थियों के मौलिक चिंतन तथा नवाचार में कमी की बात स्वीकारने वालों का प्रतिशत 38.9% रहा, साथ ही मौलिक चिंतन तथा नवाचार में वृद्धि की बात स्वीकारने वालों का प्रतिशत 26.8% रहा, जबकि 34.3% उत्तरदाताओं ने स्वीकारा कि अंग्रेजी–हिंदी माध्यम से शिक्षा देने का इस विषय से कोई सरोकार नहीं है।

अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से तनाव बढ़ता है / The growing stress on English Medium Education is	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
मौलिक सोच और नवप्रवर्तन को कम करना / Curtailing Original Thinking and Innovation	1007	38.9
इनमें से कोई भी नहीं / None of the above	886	34.3
मूल सोच और नवाचार को बढ़ावा देना / Promoting Original Thinking and Innovation	693	26.8

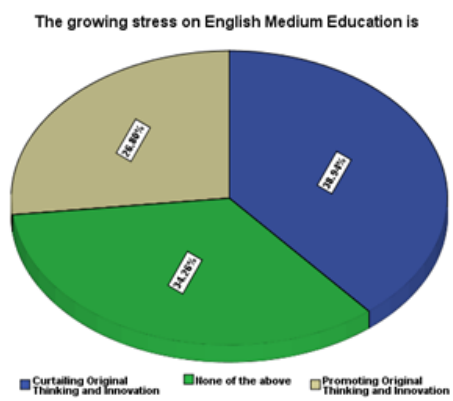

चित्र –7

3(h) क्या अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक शिक्षा सही है ?

अंग्रेजी माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के प्रश्न के उत्तर में 41.7% लोगों ने माना कि यह बच्चों के विकास में बाधक है। दूसरी ओर 27.1% जनों ने माना कि यह बच्चों के विकास को बढ़ाता है। 31.2% जनों ने इस के प्रभाव को स्वीकार ही नहीं किया।

अंग्रेजी माध्यम में प्राथमिक शिक्षा / Primary Education in English Medium	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
कोई फर्क नहीं पडता / Does not Matter	808	31.2
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को नुकसान पहुँचाता है / Hurts Cognitive Growth of the Child	1078	41.7
बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है / Promotes Cognitive Growth of the Child	700	27.1

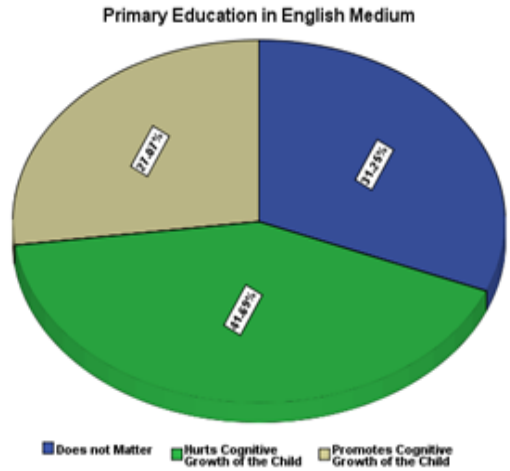

चित्र –8

3(i) क्या इस डिजिटल युग में संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है ?

वर्तमान डिजिटल युग में संस्कृत ज्ञान की सार्थकता स्वीकार करने वालों का प्रतिशत 57.5% रहा जबकि सार्थकता अस्वीकार करने वाले मात्र 10.7% ही रहें। दूसरी ओर 31.8% लोगों ने माना कि संस्कृत ज्ञान का प्रभाव नगण्य है।

इस डिजिटल युग में संस्कृत का ज्ञान है / In this digital age, knowledge of Sanskrit is	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
नहीं कह सकता / Can't say	823	31.8
अप्रासंगिक / Irrelevant	276	10.7
उपयुक्त / Relevant	1487	57.5
कुल / Total	2586	100.0

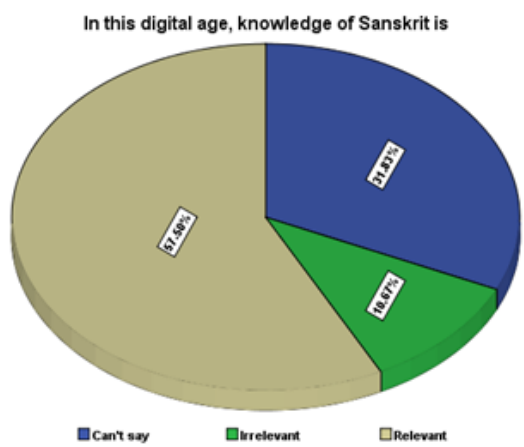

चित्र–9

3(j) बेहतर कैरियर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है ?

अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर को लेकर 80.8% उत्तरप्रदाताओं ने इस बात को खुले दिल से स्वीकार किया कि रोजगार के लिए अपनी भाषा में विषय की गहन समझ तथा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। केवल 19.2% लोगों ने माना कि अंग्रेजी ज्ञान कैरियर के लिए आवश्यक है।

बेहतर कैरियर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? / What is more Important for Better Career?	आवृत्ति Frequency	प्रतिशत Percent
अपनी भाषा में विषय की गहरी समझ और ज्ञान / Deeper understanding and knowledge of the subject in one's own language	2089	80.8
अंग्रेजी कुशलता / English Proficiency	497	19.2

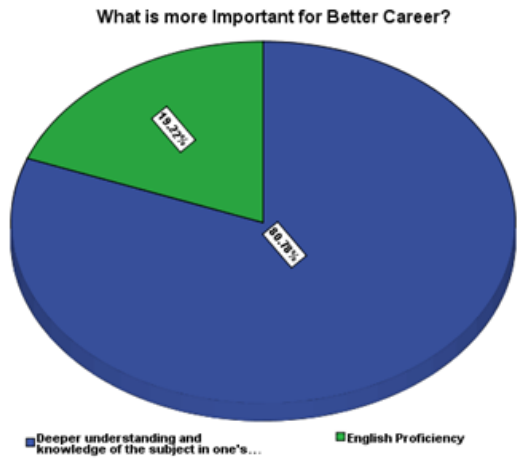

चित्र –10

4. निष्कर्ष

कोठारी आयोग ने देश की विभिन्न संस्कृतियों और बोलियों पर आधारित "अधिकारिक भाषा" के माध्यम से एकीकृत करने के उद्देश्य से भाषा नीति तैयार की। आयोग द्वारा भाषा नीति के आधार पर हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का सुझाव दिया गया। भारतीय संविधान सभी नागरिकों के लिए उनके भाषाई अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करता है। इसी के साथ संविधान में प्रदत्त विशेष अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक समूहों (धार्मिक और भाषाई) के सदस्यों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन करते हुए हिन्दी–अंग्रेजी के साथ संस्कृत अथवा आठवीं अनुसूची में दी गयी किसी भी भारतीय भाषा के माध्यम से शिक्षा देने की बात की गई। दूसरी ओर 1963 तथा 1976 राजभाषा अधिनियम हिंदी का उपयोग, हिंदी–अंग्रेजी दोनों का साथ में उपयोग तथा केवल अँग्रेजी का उपयोग किए जाने वाले उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। सन् 1997 में, कॉपलॉन और बलडौफ ने भाषा नीति को परिभाषित करने का प्रयास करते हुए बताया कि, "भाषा नीति विचारों, कानूनों, विनिमयों, नियमों और प्रथाओं कि ऐसी कार्यप्रणाली है जो कि समाज और समूह में नियोजित भाषा परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेत है"। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा का माध्यम विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर घरेलू भाषा/ मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा किए जाने पर बल देती है। बहुभाषावाद के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन पूर्ववत जारी रखने की बात की गई है। साथ ही त्रिभाषा सूत्र को और अधिक लचीला बनाने का सार्थक प्रयास किया गया है। संविधान और भारतीय भाषाओं से संबन्धित शोधकर्ताओं ने दस प्रश्नों पर आधारित प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरप्रदाताओं से उनके उत्तर प्राप्त कर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उत्तरप्रदाताओं में 54.3% पुरुष तथा 45.6% महिला के साथ 0.1% द्वारा लिंग की जानकारी नहीं दी गयी है। उत्तरप्रदाताओं में 40 वर्ष से कम आयु वर्ग में 66.2%, 40–50 वर्ष आयु वर्ग में 24.1% तथा 50 वर्ष से अधिक आयु वाले केवल 9.7% है। जहां तक उत्तरप्रदाताओं की मातृभाषा का प्रश्न है, तो सर्वाधिक

1296 उत्तरप्रदाताओं की मातृभाषा हिंदी तथा शेष अन्य भाषा वर्गों से है, हालांकि कुल 25 प्रकार की मातृभाषाएँ रखने वाले उत्तरप्रदाताओं द्वारा सर्वे में भाग लिया गया। भाषाई आधार पर हिंदी परिक्षेत्र से 60. 8% , हिंदीतर परिक्षेत्र से 35.7% तथा अन्य परिक्षेत्रों से 3.5% उत्तरप्रदाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। शैक्षिक आधार पर अलग अलग शैक्षिक क्षेत्रों से तथा पांच अलग अलग व्यवसायों से उत्तरप्रदाताओं ने भाग लिया। जिनमें मुख्यतः 51.74% कला एवं मानविकी तथा 29.19% विज्ञान वर्ग से है। 30.78% कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षक जिनका शैक्षिक ज्ञान पी.एच.डी. स्तर का है। इस प्रकार कुल 2580 उत्तरप्रदाताओं की सहभागिता उत्तर देने में रही। विश्लेषण का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि संविधान में हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के लिए लिए गए प्रावधानों से बड़ी संख्या में उत्तरप्रदाता अनभिज्ञ थे। कुछ उत्तरप्रदाताओं में जानकारी का अभाव पाया गया। बोध, अधिगम तथा मौलिक चिंतन में आशातीत वृद्धि होने की बात स्वीकारते हुए 64.8% उत्तरप्रदाताओं ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं ही होना चाहिए। 41.7% उत्तरप्रदाताओं ने एक स्वर में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में दिये जाने का अपना मंतव्य स्पष्ट किया। शिक्षा का माध्यम अंगेजी रखने से विद्यार्थियों में तनाव बढ़ना, जिसके फलस्वरूप मौलिक चिंतन तथा नवाचार में कमी होने की बात 38.9% तथा इसके विपरीत वृद्धि होने की बात 26.8% उत्तरप्रदाताओं ने स्वीकार की। वर्तमान डिजिटल युग में संस्कृत की उपादेयता के पक्ष में 57.5% उत्तरप्रदाताओं ने अपना मत प्रकट किया। जब विद्यार्थियों के कैरियर की बात आती है तो यहाँ भी 80.8% उत्तरप्रदाताओं ने अंग्रेजी के स्थान पर गूढ़ समझ तथा ज्ञान अपनी भाषाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बात स्वीकारी। इसके सापेक्ष अंग्रेजी के महत्व को स्वीकारने वाले केवल 19. 2% उत्तरप्रदाता ही रहें। संक्षेप में इतना ही कि 2047 तक यदि भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है तो शिक्षा और कैरियर में भारतीय भाषाओं के महत्त्व एवं योगदान को न केवल स्वीकारना होगा बल्कि अंग्रेजी के प्रयोग पर पूर्ण विराम तो नहीं, अपितु अल्प विराम लगाए जाने की आवश्यकता है।

"निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को सूल ।।"

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

References

1. Khandelwal, Anju, Tandon, Ankita and Kumar, Avanish, "An Experiential Study on the Role and Inclusion of Indian Languages for Generating Employment Opportunity", Published in International Journal of Knowledge and Learning, Vol 16 No 2, pp 171-185, 2023. DOI: 10.1504/IJKL.2022.10048424, ISSN: 1741-1017 (ESCI, Scopus (Elsevier), Impact Factor: 1.18, SCImago Journal Rank (SJR) 0.236, Inderscience, Switzerland).
2. https://rajbhasha.gov.in/en/constitutional-provisions
3. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/languagebr.pdf
4. https://doj.gov.in/use-of-hindi-and-regional-languages/
5. "Use of Regional Languages in High Courts", Posted On: 03 FEB 2023 5:00PM by PIB Delhi. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896029
6. Khandelwal Anju, and Kumar Avanish "Government of India Initiative's For COVID-19: Higher Education", published in the International Journal of Advanced Research, Volume-8, Issue-8, pp. 747-759, August 2020, ISSN:2320-5407(online), http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/11552 DOI: 10.21474/IJAR01/11552. (Impact Factor 7.33)
7. https://www.constitutionofindia.net/constitution_of_india/official_language/articles/Article%20343
8. http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/asintroduced/343-E-22%2011%2019.pdf
9. https://indianexpress.com/article/india/more-than-19500-mother-tongues-spoken-in-india-census-5241056/
10. https://www.thehindu.com/news/national/what-is-the-three-language-formula/article27698700.ece
11. https://indiankanoon.org/doc/192004/